29/10/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उपस्थ पक्ष उप.।
वाद कारीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय
कलम से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री
जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2017/00113

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.29 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण नं. 144/2017 GCMS:-2017/00113 दायरा दिनांक 20.06.2017

1. भादरराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. हरचन्द पुत्र रामलाल (फौत) जरिये वारिसान :–
   - 2/1 सोना पत्नी हरचन्द } अकवाम जाट निवासीयान सरदारपुरा खर्था
   - 2/2 रचना पुत्री हरचन्द } तहसील सूरतगढ़।
   - 2/3 सुमन पुत्री हरचन्द } नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सोना
   - 2/4 बादू पुत्री हरचन्द } पत्नी हरचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुरा
   - 2/5 कलावती पुत्री हरचन्द } खर्था तहसील सूरतगढ़।
3. सुलतान } पुत्रगण कुम्भाराम अकवाम जाट निवासी ढाणी रोही सरदारपुरा
4. ओमप्रकाश } खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

– वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र कालूराम जाति बैरागी निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

– प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 209 आर.टी.ए.

उपस्थित :–

1. श्री अशोक छाबड़ा एडवोकेट – वादीगण
2. श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट – प्रतिवादी

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–** 28.10.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीगण ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि वादीगण के नाम से रोही सरदारपुरा खर्था में खसरा नं. 210 में 4.775 हैक. भूमि वादी भादरराम व हरचन्द के नाम से अंकित है इसी अनुसार खसरा नं. 211 में 4.541 हैक. भूमि वादी नं. 3 व 4 सुलतान, ओमप्रकाश के नाम से अंकित है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता संख्या 64 से साबित है। वादी हरचन्द पुत्र रामलाल का देहान्त हो जाने के कारण उनके वारिसान को जो कि वादी नं. 2/1 से 2/5 पर अंकित है। वादी नं. 2/3 ता 2/5 नाबालिग है। इसलिए जरिये कुदरती बली माता सोना को उनके हितो की रक्षा हेतु संरक्षक होने से पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी हनुमान पुत्र कालूराम के नाम रोही सरदारपुरा खर्था में खसरा नं. 213 में 4.7 हैक. भूमि खातेदारी दर्ज कागजात है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता संख्या 118 से बखूबी साबित है। वादीगण का खसरा नं. 210 व 211 की भूमि खसरा नं. 213 के सींव लगती चिपती भूमि है। भूमि खसरा जात की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.29 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादीगण की उक्त दोनो खसरा की भूमि लगभग 5.00 बीघा लम्बी में 2.10 बीघा भूमि पर प्रतिवादी जबरिया तौर पर काश्त नाजायज रुप से काबिज होकर काश्त करने लग गया। जब वादीगण द्वारा उक्त कृत्य से प्रतिवादी को रोका तो वो कब्जा से इन्कार हो गया वा सीमा ज्ञान करवाने की बात कही तब वादीगण द्वारा दिनांक 18.05.2009 को सीमा ज्ञान का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया पटवारी हल्का व गांव के मौजीजान व्यक्तियो के सामने सीमा ज्ञान करवाया तो पूर्ण ज्ञान होने के पश्चात् भी भूमि का कब्जा नही सौपा इसके पश्चात् पुनः सीमा ज्ञान करवाया उस समय स्वंय मौका पर मौजूद था। पटवारी हल्का द्वारा मौका पर अन्य गवाहान के सामने सीमा ज्ञान करवा दिया स्थिति स्पष्ट होने के उपरान्त भी हनुमान पुत्र कालू बैरागी, चुनी, फूसाराम नि. नानूराम उक्त पैमाईश में इन्कार हो गये। उक्त तमाम स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् प्रतिवादी हनुमान द्वारा एक वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए. का दिनांक 05.08.2015 को अदालत वाल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जो दिनांक 03.03.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 210, 211 की 2.10 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सन् 2009 से लगातार कब्जा बनाये हुये है व नाजायज रुप से कब्जा बनाये हुये है व फसल का फायदा उठा रहा है। वादीगण को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिवादी के इरादे नेक नियत नही है। वादीगण की खातेदारी भूमि का **''फुट ऑफ दि लैण्ड''** उठाने का प्रतिवादी को कानूनी अधिकार नही है। प्रतिवादी एक चतूर व चालाक किस्म का व्यक्ति है मात्र उलझाये रखने व मुकदमा में चक्कर लगवाने की आड़ में आज तक नाजायज रुप से काबिज होकर फसल का फायदा उठा रहा है वह विशुद्ध अतिक्रमी है जिसे वादीगण बेदखल कर कब्जा हासिल करने के कानूनी अधिकारी है तथा मालकाना माल गुजारी का 50 गुणा शास्ति कायम कर Mesne Profit प्राप्त करने का भी अधिकारी है। इसलिए यह दावा पेश किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावें। पत्रावली तलबी होकर दिनांक 24.08.2017 को पेश हो। दिनांक 16.10.2018 को श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट ने प्रतिवादी हनुमान की और से वकालतनामा पेश किया। शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक 12.12.2018 को पेश हो। दिनांक 25.06.2019 उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रतिवादी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किये 90 दिन से अधिक का समय हो चुका है। जबाब द्वारा प्रस्तुत नही करने पर प्रतिवादी नं. 1 का जबाब हक्क बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 29.07.2019 को पेश हो। दिनांक 22.09.2020 उभयपक्ष उपस्थित वादी सख्या 3 व 4 मय अधिवक्ता गवाह रामलाल, कृष्ण, किशनाराम ने उपस्थित होकर साक्ष्य वादी ब्यान शपथ पत्र पेश किये शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी जिरह दिनांक 12.10.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.29 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पेश हो। दिनांक 10.03.2021 उभयपक्ष उपस्थित वादी ओमप्रकाश व गवाह कृष्ण उपस्थित। साक्ष्य वादी ब्यान शपथ पत्र पर जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा समायत की गई। साक्ष्य वादी और नही कराना चाहते है। साक्ष्य वादी बन्द किये जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 06.04.2021 को पेश हो। दिनांक 24.08.2022 प्रतिवादी साक्ष्य हेतु उपस्थित नही आया। काफी अवसर दिये जा चुके है। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाते है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 08.09.2022 को पेश हो। दिनांक 31.08.2023 को बहस सुनी गई।

अधिवक्ता की बहस सुनी जाने के पश्चात पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज दैनिक डायरी दिनांक 29.06.2010 से कतई साबित नही होता कि वादीगण की भूमि पर प्रतिवादी नं. 1 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है व वादीगण द्वारा प्रस्तुत ब्यानो की जिरह में स्वीकार किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 का खसरा जात अलग अलग है व अलग अलग तरमीम है जो ब्यानो में स्वीकार किया है व वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी भूमि है व अलग अलग खाते की जमाबन्दी है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र साबित नही करने के अभाव में खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र साबित नही करने व बिना साक्ष्य सबूत पेश होने से वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय खले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक जिलाधीश
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.29 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

–: डिक्री ब मुक्द्दम इख्तदाई :–

(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़

बइजलास – सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

1. भादरराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. हरचन्द पुत्र रामलाल (फौत) जरिये वारिसान :–
   - 2/1 सोना पत्नी हरचन्द } अकवाम जाट निवासीयान सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़।
   - 2/2 रचना पुत्री हरचन्द
   - 2/3 सुमन पुत्री हरचन्द } नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सोना पत्नी हरचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़।
   - 2/4 बादू पुत्री हरचन्द
   - 2/5 कलावती पुत्री हरचन्द
3. सुलतान } पुत्रगण कुम्भाराम अकवाम जाट निवासी ढाणी रोही सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. ओमप्रकाश

– वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र कालूराम जाति बैरागी निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 209 आरटीए मुकदमा नं. 144/2017 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादीगण श्री अशोक छाबड़ा एडवोकेट व प्रतिवादी नं. 1 की और से श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र साबित नही करने व बिना साक्ष्य सबूत पेश होने से वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

आज ....x........... मुबलिग ....x........... बाबत् ....x........... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह ....x........... कस्दो की पालना ....x...........आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28/10/2024 को जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.29 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)